न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 84/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
लालसिह पुत्र खींवसिह जाति राजपूत निवासी गोपालसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर 2– उपखण्ड अधिकारी बालेसर 3– दुर्गसिह पुत्र रणजीत सिह 4– सुमेर सिह पुत्र रणजीत सिह 5– गजे सिह पुत्र रणजीत सिह 6– अर्जुन सिह पुत्र रणजीत सिह 7– जब्बर सिह पुत्र रणजीत सिह 8– उम्मेद सिह पुत्र रणजीत सिह जातियान राजपूत निवासीगण गोपालसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व केम्प निम्बो का गांव मे पारित आदेश कमांक राजस्व/2018/ 728 दिनांक 11–5–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– रेस्पो0 3 से 8 बावजुत तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 10–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते संबंधित समस्याओ के निराकरण हेतु चलाये गये अभियान–2016 के कम मे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार बालेसर ने राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.12 (3) राज–1/2016 दिनांक 24–8–2016 एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश कमांक/भू.अ./रा.लो.अदा./2016/12663–675 दिनांक 2–9–2016 के निर्देशो के कम मे ऐसे कदीमी सार्वजनिक प्रवृति के रास्ते जो मौके पर चालू है परंतु इनका राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे मे अंकन नही है, ऐसे प्रस्ताव ग्राम शहीद मेघसिह नगर एवं गोपालसर के तैयार कर मय मौका फर्द, संबंधित खातेदारान की जमाबंदी एवं रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा मय राजस्व नक्शे के अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर को उनके पत्रांक भू.अ/2017/226 दिनांक 9–5–2018 को प्रेषित किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 मे पारित आदेश कमांक 728 दिनांक 11–5–2018 के द्वारा इस प्रकार आदेशित किया कि प्रस्तावित भूमि का पृथक से खसरा कायम कर किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज की जायेगी, किन्तु भूमि निजी खातेदारी मे होने की सूरत मे पूर्ववत निजी खातेदारी मे रहेगी तथा नक्शे मे रास्ते की भूमि

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

का लाल स्याही से अंकन किया जावे, उक्त कार्यवाही नामांतरकरण प्रक्रिया के जरिये संपादित की जाकर तहसीलदार बालेसर को पालना प्रतिवेदन प्रेषित करने का आदेश पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–5–2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहरात हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के जरिये कुल 21 खसरान की खातेदारी भूमि मे से कुल 9.01.03 बीघा भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जबकि वक्त सेटलमेंट से प्रस्तावित खसरा मे से कोई रास्ता नही चलता था न ही कोई रास्ता ही उपलब्ध था इसलिये संवत 2011 मे वक्त सेटलमेंट उक्त प्रस्तावित खसरान की भूमि मे गै.मु.रास्ता दर्ज नही हुआ न ही सेटलमेंट के वक्त बनाये गये नक्शे मे भी कोई रास्ते की तरमीम दर्शाई हुई है परंतु सेटलमेंट के 60 वर्ष पश्चात भी किसी भी खातेदार ने उक्त प्रस्तावित खसरा नंबरान की भूमि मे से रास्ता संबंधी कोइ उजरदारी पेश नही की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 का हवाला देते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 अनुसार तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रभावित खातेदारो को नोटिस देकर तथा उन्हे सुनवाई का अवसर देने के बाद किसी प्रकार के आदेश पारित करने चाहिये थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारो को नोटिस दिये तथा सुनवाई का अवसर दिये ही पक्षकारान के खातेदारी की भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता के रूप मे दर्ज कर दी । वकील अपीलांट ने कथन किया कि विधि का यह तयसुदा सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के पीठ पीछे कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है यदि पारित किया है तो ऐसा आदेश एब–इनिश्यो–वॉईड आदेश है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से ऐसे आदेश को बहाल नही रखा जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–5–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को बिना सुने तथा पक्षकारान की अनुपस्थिति मे तहसीलदार की एकतरफा रिपोर्ट जिस

अपीलाधीन भूमि के खातेदार नही है तथा ऐसी एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2009 (2)आर.आर.टी. पेज 931, आर.आर.डी. 2018 पेज 121 तथा आर.आर.डी. 1984 पेज 602 की निर्णय नजीरें पेश की ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–5–2018 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को खातेदारो को सुनवाई का अवसर तहसीलदार बालेसर से मौका रिपोर्ट मंगवाकर पुनः नए सिरे से आदेश पारित करवाने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओं के समाधान हेतु चलाये गये अभियान के तहत ऐसे कदीमी रास्ते जो मौके पर चालू है जिनका उपयोग एवं उपभोग ग्रामवासी लंबे समय से करते आ रहे है जिन पर केन्द्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत ग्रेवल सडक या डामर सडक बनी हुई है परंतु राज़स्व रेकर्ड मे उनका रास्ते के रूप मे इन्द्राज नही किया हुआ है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर विधिवत प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड के तहसीलदार की अभिशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर जो रास्तो के संबंध मे अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । वर्तमान अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुने बिना अथवा उनकी सहमति के बिना तथा उनकी उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना ही प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर दिये तथा उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने भी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप बिना मोके की जांच किये अपीलाधीन आदेश के जरिये उनके खातेदारी का रकबा कम करते हुए गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध पत्रादि तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–5–18 के अवलोकन के परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित आदेश

अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जावें । वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे । इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें, साथ ही अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है । पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

निर्णय आज दिनांक 10–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर